न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–373 सन् 2015

दामोदर सिंह .....वादी

बनाम

जय दयाल राय व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 18.04.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.2020 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 01.12.2018 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसी पेपर पर यह वाद निर्भर है परंतु जांच का आदेश इस न्यायालय से हो चुका है परंतु आदेश का पालन प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 13.09.2021 को दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.2020 कानून एवं तथ्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से पोषणीन नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी केवल 01.12.2018 के आदेश की आड़ में इस वाद में साक्ष्य देना नहीं चाहते हं एवं जानबूझकर वाद को लंबित कर रहे हैं। वादी पिछले कई तिथियों से साक्ष्य नहीं लाकर न्यायिक कार्य में रूकावट पैदा कर रहे हैं जो न्याय के प्रतिपूर्ण है। अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक 23.11.2020 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि न्यायालय

के द्वारा दिनांक 01.12.2018 को आदेश पारित किया गया है। वादी के आवेदन दिनांक 25.09.2018 के आलोक में वादी के हस्ताक्षर एवं निशान को फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया जाता हैं। वादी के आवेदन दिनांक 25.09.2018 में उनका कथन है कि प्रतिवादी जय दयाल यादव ने केवाला फर्जी बिकी कर दिया है एवं केवाला पर वादी दामोदर सिंह का हस्ताक्षर नहीं है। उपर्युक्त परिस्थिति में प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि केवाला पर वादी के हस्ताक्षर एवं निशान की फॉरेंसिक जांच कराया जाए। प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2018 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रतिवादी दिनांक 01.12.2018 के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो वादी के कथन को सत्य मानते हुए विवादित जायदाद दिनांक 21.06.2014 दामोदर सिंह बनाम जय दयाल यादव उर्फ जय दयाल राय के संबंध में उचित निर्णयन वादी के पक्ष में कर दिया जाएगा। अतः प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वाद के निष्पादन हेतु उचित कदम उठाते हुए आदेश दिनांक 01.12.2018 का शीघ्र अनुपालन करें। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 23.11.2020 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 11.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।